

13/01/23

पञ्जाबी पेशे हुये अधिवक्ता, निगराकाशाण अनुपस्थित  
केक-कक कर तीन बार बार जाताने पञ्जाबी परधी  
निगराकाशाण तथा उसके अधिवक्ता जी से केई  
उपस्थित नहीं। निपसीकाण की तमील रोम है तथा  
अधिवक्ता, निगराकाशाण प्रकरण में दिनांक 06/07/2022 से  
पञ्जाबी अनुपस्थित चल रहे हैं तथा उनके द्वारा  
प्रकरण प्रस्तुत करने के परम्पार से आदिवाँक तक एक  
की बार निपसीकाण की तमील हेतु ग्रीटिस प्रोसेस पेश  
नहीं किया है। अधिवक्ता, निगराकाशाण को दिनांक  
04/08/2022 में अनुपस्थित करने पर न्यायादाल में  
आवेदन आगसत देते हुए निर्देशित किया गया था फिर  
भी उनके द्वारा आदिवाँक तक निपसीकाण की तमील हेतु  
ग्रीटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है तथा न ही आपकी  
उपस्थित हुए हैं। अतः वे अपने प्रकरण के प्रतिगामीर  
नहीं हैं। अतः प्रकरण क्रमांक 05 निम्न 05 खिनेल  
प्रक्रिया संदिता, 1508 के तहत कार्रवाई किया जावा है।  
पञ्जाबी फैसल शुमार ठीकर अन्तर से कम हो



13/1/2023

(निदेश श्री गालदीरा)  
अतिरिक्त कलक्टर,  
(प्रशासन) चित्तौडगढ